

**\*प्रेस नोट\***

**\*जनपद – संतकबीरनगर \***

**\*दिनांक 19.02.2026\***

**\*दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पतारामू पुत्र दशरथ निवासी बैरियहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-\* उ0नि0 श्री एजाज अहमद खान।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

\*थाना धनघटा पुलिस\* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।\*

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 वाहनों से 1,67,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 19.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 143 वाहनों से 1,67,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।